123

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

प्रकरण क्र.   /2016 निगरानी   नि.ग/-2914-I-16

दिनांक 30-8-16 को श्री प्रदीप श्रीवास्तव एडवो द्वारा प्रस्तुत / 30.8.16

50

वीरेन्द्र सिंह निवासी ग्राम सुनारी तहसील इन्द्रगढ़ जिला दतिया (म.प्र.)

...... आवेदक

विरुद्ध

1. यासीन खां पुत्र शहजाद खां निवासी ग्राम सुनारी तहसील इन्द्रगढ़ जिला दतिया (म.प्र.)
2. जगदीश
   निवासी ग्राम सुनारी तहसील इन्द्रगढ़ जिला दतिया (म.प्र.)

.... अनावेदक

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं. विरुद्ध आदेश दिनांक 12.08.16 जिसे तहसीलदार इन्द्रगढ़ जिला दतिया के न्यायालयीन प्रकरण क्रमांक 5/अ-70/15-16 में पारित किया है।

माननीय महोदय,

आवेदक की निगरानी निम्न तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत है :-

1. यहकि, अधीनस्थ न्यायालय में आवेदकगण द्वारा धारा 250 म.प्र.भू.रा.सं. के तहत एक आवेदन पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें आवेदक वीरेन्द्र सिंह के द्वारा अनावेदक क्र. 1 के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र का जबाव प्रस्तुत किया गया है और निवेदन किया गया कि राजस्व न्यायालय के रिकार्ड में गलत प्रविष्टि होने से यह प्रकरण अनावेदक द्वारा प्रस्तुत किया गया और यह कहा किया गया कि वीरेन्द्र सिंह की भूमि सर्वे क्र. 137/1 रकवा 0.012 हेक्टयर रोड पर है चौड़ीकरण में गोराघाट इन्टर कॉलेज के द्वारा अधिग्रहत हो गया है जबकि सर्वे क्र. 219 अनावेदक क्र. 1 का नम्बर सर्वे क्र. 219 रोड़ के चौड़ीकरण में अधिग्रहत किया गया है लेकिन अधिग्रहत होने के बावजूद यासीन खां के नाम आज तक दर्ज रहा, भूमि अधिग्रहत होने के बाद नक्शा छोटा हो गया। नक्शा में सुधार किया जाने हेतु उक्त विवादित आराजी का प्रकरण कलेक्टर दतिया के यहां लम्बित है आवेदक के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा प्रस्तुत आपत्ति

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–2914–एक/2016 जिला–दतिया

वीरेन्द्र सिंह विरूद्ध यासीन खां व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
31–05–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार इन्दरगढ़, जिला–दतिया के प्रकरण क्रमांक 5/अ–70/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 12–08–2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर दतिया, जिला–दतिया के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 22–07–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 31/5/19	